>

Title: Need to provide special status to abandoned and destitute women in the country.

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में जैसे होता है, वैसे ही सभी संसदीय क्षेत्रों में ऐसा होता होगा। मुझसे मिलने कई ऐसी महिलाएं आती हैं, जो शादीशुदा तो होती हैं पर तलाकशुदा नहीं होती। ये वे महिलाएं हैं जिनके पतियों ने या उनके घरवालों ने उनको घर से निकाल दिया है या बेसहारा छोड़ दिया है। अगर वे तलाकशुदा होतीं तो उनको किसी न किसी कानून से कुछ मिल जाता। पर ऐसे कानून की स्थिति में ये बेचारी न घर की रही हैं और न घाट की। न उन्हें विधवा पेंशन मिल सकती है और न ही वे वृद्धा पेंशन की अवस्था में पहुंच गई हैं। इस तरह की जो महिलाएं होती हैं यानी डेजर्टेड इंडियन वीमैन की दुखद स्थिति को वीमैन एट्रोसिटी यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के रूप में नहीं देखा जाता और इसे सामाजिक समस्या का दर्जा भी नहीं दिया जाता। यह महत्वपूर्ण मुद्दा होते हुए भी अन्य कई मुद्दों के बीच में कहीं खो जाता है और अक्तूबर 2006 में प्रोटैक्शन ऑफ वीमैन्स फ्रॉम डॉमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट, 2005 आने के बावजूद घर पर रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनके खिलाफ घरेलू हिंसाएं रिपोर्टेड या अनरिपोर्टेड मामले आज भी सामने आ रहे हैं। इन डेजर्टेड महिलाओं को, विशेषकर इन बेसहारा और परित्यक्त महिलाओं को वेश्यावृत्ति, बाल श्रम या घरेलू कामकाज के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कहीं तो हमें इसे रोकना ही होगा क्योंकि हमारे देश का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को सैक्शन 214 के अन्तर्गत समानता की गारंटी तो देता है लेकिन फिर भी अगर पुलिस रिकार्ड में देखें तो पाएंगे कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में इस गंभीर विषय पर कुछ सुझाव देना चाहती हूं। यौन शोषण अबंडनमेंट व डैस्टीट्यूशन जैसी संवेदनशील परिभाषा को विशेष रूप से देखा जाए और उसमें उचित संशोधन किया जाए। अबंडनमेंट व डैस्टीट्यूशन को दंडनीय अपराध माना जाए। नेशनल कमीशन ऑफ वीमैन द्वारा इन सभी छोड़ी हुई बेसहारा महिलाओं पर एक नोडल इंफॉर्मेशन डेटा बेस का निर्माण किया जाए ताकि हम उनके बारे में कुछ आंकड़े रख सकें। ऐसी पीड़ित महिलाओं को बचाने के बाद उनके पुनर्वास को प्रभावी ढंग से करने के लिए अतिरिक्त बजट आबंटित किया जाए और उस पर काम किया जाए।

श्री पन्ना लाल पुनिया: सभापति जी, मैं भी अपने आप को श्रीमती अन्नू टण्डन द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करता हूं।